भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1309
उत्तर देने की तारीख 25.07.2022

छात्रों को डिजिटल सुविधाएं प्रदान करना

1309. श्री प्रतापराव पाटिल चिखलीकर:
श्री अजय निषाद:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या स्मार्ट फोन और नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बच्चों और युवाओं को ऑनलाइन पढ़ाई में कठिनाई हो रही है और यदि हां, तो सरकार द्वारा वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को अधिक सुलभ और सस्ती ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वंचित और ग्रामीण क्षेत्रों के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप आदि जैसे उपकरण और इंटरनेट सुविधा कम लागत में प्रदान करने के लिए कोई योजना बनाई है; और

(ग) यदि हां, तो उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ग): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में हैं। तथापि, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के ग्रामीण और शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में रहने वाले छात्रों सहित प्रत्येक छात्र के लिए निर्बाध शैक्षिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया गया है।

17 मई, 2020 को आत्म निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई है, जो शिक्षा के लिए मल्टी-मोड एक्सेस को सक्षम करने के लिए डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। इस पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- दीक्षा - राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्कूल शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी कक्षाओं (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोडित सक्रिय पाठ्यपुस्तकें
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक निर्धारित स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)

- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट का व्यापक उपयोग- शिक्षा वाणी
- दृष्टिबाधित और श्रवण बाधितों के लिए डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डेज़ी) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित विशेष ई-सामग्री

शिक्षा मंत्रालय ने जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल उपकरण/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के आवास पर पाठ्यपुस्तकों की आपूर्ति, 21वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक और सामुदायिक/मोहल्ला कक्षाओं के आयोजन जैसी कई पहल की हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से समग्र शिक्षा - स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना शुरू की है। यह 'स्कूल' को प्री-स्कूल, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में परिकल्पित करता है। यह स्कूल शिक्षा क्षेत्र के लिए प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा का कार्यान्वयन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में किया जाता है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में आईसीटी अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण सहित विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत, आईसीटी घटक में बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अध्यधीन, छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों तथा शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

आईसीटी घटक में सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों की छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं को कवर किया गया है जिससे छोटी कक्षा से ही आईसीटी संसाधनों का उपयोग कर सकेंगे। 120614 स्कूलों में आईसीटी लैब को मंजूरी दी गई है और 82120 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम को मंजूरी दी गई है। प्राथमिक कक्षाओं में कार्यरत शिक्षकों को कुल 1482565 टैब स्वीकृत किए गए हैं।

स्कूलों में मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए विभाग के इनोवेशन फंड का उपयोग किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निरंतर अधिगम योजना (सीएलपी) की शुरूआत की गई है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन कक्षाएं मुश्किल हैं वहां प्री-लोडेड टैबलेट का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रज्ञता दिशानिर्देश जारी किए गए जिससे विभिन्न माध्यमों से निरंतर शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। इन दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी स्थिति शामिल है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है अथवा बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है, संसाधनों को टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा किया जाता है, जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं करते। इसी प्रकार, 2020 में कोविड -19 के दौरान बच्चों की शिक्षा में सहायता करने के लिए छात्र अधिगम संवर्धन दिशानिर्देश जारी किए गए थे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ई-कंटेंट तैयार करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल बंद होने के दौरान और उसके बाद गृह-आधारित शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश भी 2021 में जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने 'मनोदर्पण' नामक एक सक्रिय पहल की है, जिसमें कोविड के प्रकोप के दौरान और उसके बाद भी छात्रों, शिक्षकों और परिवारों के मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण के लिए उन्हें मनोसामाजिक सहायता प्रदान करने हेतु विस्तृत कार्यकलाप शामिल हैं। केंद्र सरकार शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए इन पहलों से संबंधित दिशा-निर्देशों और बैठकों के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार सलाह दे रही है। अब तक जारी कुछ दिशा-निर्देश इस प्रकार हैं:

क्र. सं	पहल	दिशानिर्देश का लिंक
1	डिजिटल शिक्षा संबंधी प्रज्ञता दिशानिर्देश	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf
2	सीडब्ल्यूएसएन के लिए ई–सामग्री विकसित करने हेतु दिशानिर्देश	https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-06/CWSN_E-Content_guidelines.pdf

*****